

☐ हमारे नये ग्राहक ☐ मौजूदा ग्राहक अगर मौजूदा ग्राहक हैं, तो ग्राहक ID डालें _____

तारीख : DD / MM / YYYY

ऋण राशि की आवश्यकता _____ अवधि _____ ब्याज दर फ्लोटिंग प्रति वर्ष मासिक अंतराल पर _____

आवेदक नाम: _____ प्रथम नाम _____ मध्य नाम _____ आखिरी नाम _____

पिता / पति का नाम: _____ प्रथम नाम _____ मध्य नाम _____ आखिरी नाम _____

जन्म की तारीख: DD / MM / YYYY

DOB घोषणा: (केवल तभी लागू होता है जब जन्म की तारीख और महीने का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं होता है)-

मैं पुष्टि करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई मेरी जन्म तिथि सही है और इसका उपयोग इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अपने सभी ऋण दस्तावेजों और पत्राचार में किया जा सकता है।

ग्राहक के हस्ताक्षर _____

लिंग: ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ तृतीय लिंग ☐ राष्ट्रीयता _____

वैवाहिक स्थिति: ☐ अकेला ☐ विवाहित आश्रितों की संख्या: _____

योग्यता: ☐ SSLC ☐ उच्च माध्यमिक विद्यालय ☐ UG ☐ PG ☐ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) _____

व्यवसाय का प्रकार: ☐ वेतनभोगी ☐ स्व नियोजित ☐ किसान ☐ गृहिणी ☐ अन्य कृपया निर्दिष्ट करें _____

राजनीतिक रूप से बेनकाब हुए व्यक्ति: ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ PEP से संबंधित

ग्राहक प्रकार: ☐ व्यक्तिगत ☐ एकमात्र मालिक ☐ इक्विटास कर्मचारी ☐ कर्मचारी के रिश्तेदार ☐ संबंध _____ ☐ वार्षिक आय _____

आवासीय: ☐ अपना ☐ किराए पर ☐ लीज़ पर लिया गया ☐ कंपनी प्रदान की गई वर्तमान निवास में अवधि: _____ साल _____ महीने

धर्म: ☐ हिंदू ☐ ईसाई ☐ मुस्लिम ☐ बुद्धिस्ट ☐ जैन ☐ सिखों ☐ ज़ोरोस्ट्रियन ☐ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) _____

जाति: ☐ BC ☐ MBC ☐ OBC ☐ SC ☐ ST ☐ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) _____

शारीरिक विकलांगता: ☐ अंधा ☐ हाथ से विकलांग ☐ अपरिभाषित ☐ NA

ESFB से प्राप्त अन्य ऋण लाभ: ☐ MF ☐ VF ☐ HF ☐ SME ☐ LAP ☐ अन्य खाता #(ओं): _____ / _____ / _____

आवेदक का वर्तमान पता: (डाक पता)

फ्लैट / मकान सं. _____ भवन / सोसायटी का नाम _____

सड़क क्रमांक नाम _____

क्षेत्र / इलाका _____ शहर / कस्बा / गाँव _____

जिला _____ पिनकोड _____ राज्य _____ मोबाइल _____

फ़ोन _____ ईमेल _____

आवेदक का स्थायी पता / कार्यालय का पता:

कार्यालय का नाम _____ दरवाजा सं. _____

भवन / सोसायटी का नाम _____

सड़क सं. नाम _____

क्षेत्र / इलाका _____ सीमाचिह्न _____

शहर / कस्बा / गाँव _____ पिनकोड _____ राज्य _____

मोबाइल _____ फ़ोन (कार्यालय) _____ वर्तमान व्यवसाय / रोजगार में वर्षों की संख्या _____

ऋण का उद्देश्य:

गैर PSL श्रेणी

ऋण का उद्देश्य - गैर PSL

☐ शादी	☐ घर का नवीनीकरण	☐ कामकाज विकास	☐ शिक्षा का उद्देश्य	☐ यात्रा का खर्च
☐ पर्सनल निड्स	☐ न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन	☐ व्यावसायिक उद्देश्य	☐ चिकित्सा के खर्च	☐ अन्य खर्च

PSL श्रेणी

कृषि

☐ अन्य किसान (5 एकड़ (2 हेक्टेयर) से अधिक भूमि धारक)

☐ पट्टा समझौते के साथ किरायेदार किसान

ऋण उद्देश्य / धन का अंतिम उपयोग

☐ रेशम उत्पादन सहित पशुओं, मुर्गीपालन, रेशम के कीड़ों की खेती

☐ वृक्षारोपण फसलों का बढ़ना

☐ फार्म परिवहन वाहनों / सहायक उपकरण की खरीद

☐ कृषि भूमि खरीद

☐ पादप उतक संवर्धन और कृषि - जैव प्रौद्योगिकी

☐ बीज उत्पादन

☐ छोटा किसान (2.5 एकड़ से 5 एकड़ (1-2 हेक्टेयर)

☐ कृषि मजदूर (कोई जमीन नहीं)

☐ मधुमक्खी पालन

☐ मत्स्य पालन और संबंधित गतिविधियाँ

☐ मृदा / भूमि / कृषि विकास गतिविधियाँ

☐ अन्य संबद्ध गतिविधियाँ

☐ कृषि सिंचाई और संबंधित गतिविधियाँ

☐ सीमांत किसान (2.5 एकड़ तक (1 हेक्टेयर तक)

☐ मौखिक पट्टे के आधार पर किरायेदार किसान (कोई जमीन नहीं)

☐ खाद और नकदी फसलों का बढ़ना

☐ फार्म मशीनरी और उपकरणों की खरीद

☐ कटाई और कटाई से संबंधित गतिविधियाँ

☐ जैव - कीटनाशकों, जैव - उर्वरक, और वर्मी कंपोस्टिंग का उत्पादन

☐ कृषि आदानों की खरीद

☐ पशुपालन

सोने की वस्तुओं का विवरण

क्र. सं.	सोने के गहने का विवरण	आभूषणों की संख्या	कुल भार	टिप्पणियाँ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	कुल			

आभूषणों का स्रोत _____

बैंक विवरण

बैंक का नाम _____ शाखा _____

खाता प्रकार _____ खाता सं. _____ IFSC कोड _____

पहचान का ब्योरा

ID प्रमाण: ☐ आधार कार्ड ☐ PAN कार्ड ☐ ग्राहक CKYC सं. _____ ID पूरा सं. _____

पते का प्रमाण: ☐ आधार कार्ड ☐ मतदाता ID ☐ डाइविंग लाइसेंस ☐ NREGA का नौकरी कार्ड ☐ पासपोर्ट ☐ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र

☐ अन्य कृपया, उल्लिखित करना। _____

पते का सबूत _____

बैंक के निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन / बैंक के अधिकारी / किसी अन्य बैंक के साथ संबंध के संबंध में ग्राहक घोषणा

I.	मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का निदेशक / प्रवर्तक हूँ या हम एक फर्म हैं जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक/निदेशक एक भागीदार / प्रबंधक / कर्मचारी / गारंटर हैं। या हम एक ऐसी कंपनी हैं जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक/निदेशक भी निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हैं या पर्याप्त रुचि रखता है।	☐ हाँ ☐ नहीं
II.	मैं किसी अन्य बैंक का निदेशक हूँ* या हम एक फर्म हैं जिसमें अन्य बैंक का कोई भी निदेशक * भागीदार / गारंटर के रूप में रुचि रखता है या हम एक ऐसी कंपनी हैं जिसमें किसी अन्य बैंक के निदेशक* की पर्याप्त रुचि है या निदेशक या उत्तरदायी के रूप में रुचि रखता है। या किसी अन्य बैंक यानी GM और उससे ऊपर के वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा	☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, तो बैंक का नाम _____
III.	मैं / हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या अन्य बैंक * के निदेशक / प्रमोटर या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के कर्मचारी # के रिश्तेदार हैं या हम एक फर्म (साझेदारी / हिंदू अविभाजित परिवार) हैं जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड / अन्य बैंक* / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक / प्रमोटर के किसी भी रिश्तेदार / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के कर्मचारी # एक भागीदार/ गारंटर के रूप में रुचि रखते हैं या हम एक ऐसी कंपनी हैं जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड / अन्य बैंक* के निदेशक / प्रमोटर / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी # का कोई भी रिश्तेदार पर्याप्त रुचि रखता है या निदेशक या गारंटर के रूप में रुचि रखता है।	☐ हाँ ☐ नहीं
IV.	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के 10 प्रतिशत से अधिक पेड - अप इक्विटी शेयर धारण करना	☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हां, उपरोक्त किसी भी खंड के लिए, कृपया नीचे विवरण का उल्लेख करें:

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं / हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या यहां निर्दिष्ट किसी अन्य बैंक के निदेशक (ओं)/ प्रमोटर और या वरिष्ठ प्रबंधन / कर्मचारी से संबंधित हैं/हैं

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पद का नाम	बैंक का नाम	संबंध

* जिसमें अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशक, सहायक कंपनियों / ट्रस्टी सहायक कंपनियों / म्यूचुअल फंड / वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टी शामिल हैं।

ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, या कोई समिति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सदस्यों के रूप में एक अनुमोदन प्राधिकारी शामिल हो।

\$ संबंधी की परिभाषा: पति/पत्नी, पिता, माता, पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्री, पुत्री का पति, भाई, भाई की पत्नी, बहन, बहन का पति, जीवनसाथी का भाई।

नोट: यदि उपरोक्त के संदर्भ में की गई घोषणा गलत पाई जाती है, तो बैंक क्रेडिट सुविधा को अस्वीकार करने, रद्द करने और/या वापस लेने का हकदार होगा।

तारीख:

जगह:

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारक

मैं बैंक/उसके एजेंट द्वारा टेलीफोन / मोबाइल / SMS / ईमेल के माध्यम से विपणन उद्देश्यों के लिए सूचना / सेवाएं आदि प्राप्त करने के लिए ☐ सहमति / ☐ सहमति नहीं देता / देती हूँ। मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि, मैंने घोषणा को पढ़ और समझ लिया है, और फॉर्म पर दिए गए सभी विवरण सही और सही हैं। मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि "कॉल न करें" के पंजीकरण के लिए केवल प्रत्यक्ष टेलीफोन नंबर (कार्यालयों / कॉर्पोरेट / नियोक्ताओं के बोर्ड / सामान्य टेलीफोन नंबर नहीं) स्वीकार किए जाएंगे। मुझे पता है कि पंजीकरण के बाद, मुझे पंजीकरण के अनुरोध की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए बैंक से एक कॉल प्राप्त हो सकती है। मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को समय - समय पर किसी भी माता - पिता, सहायक, संबद्ध और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सहयोगी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा नाराज तीसरे पक्ष को सेवाओं के विपणन जैसे उद्देश्य के लिए गोल्ड ज्वेलरी संबंध के खिलाफ मेरे ऋण से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे पास उपर्युक्त के अलावा कोई मौजूदा ग्राहक ID या ग्राहक ID नहीं है, और यदि अन्यथा पाया जाता है, तो बैंक मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के, एकल ग्राहक ID के तहत ग्राहक ID को समेकित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारक

तारीख:

अगर यह रिक्त है, तो इस फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें, कृपया सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक अनुभाग और कॉलम पूरी तरह से आपकी संतुष्टि के लिए भरे गए हैं और फिर केवल फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

जगह:

आवेदक द्वारा घोषणा

- मैं यहां ऊपर बताए अनुसार गोल्ड लोन सुविधा के लिए आवेदन करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि बैंक द्वारा दी गई या आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सहित मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी विवरण सभी मामलों में सही, सही और पूर्ण हैं।
 - मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताए अनुसार गिरवी के लिए दिए गए आभूषणों की सूची का असली मालिक मैं हूँ।
 - मैं एतद्वारा सहमत हूँ, स्वीकार करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि मुझे ESFB द्वारा किए गए किसी भी परीक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है जिसमें सोने/सोने के आभूषणों / या नामों पर ESFB द्वारा आवश्यक परीक्षण, एसिड परीक्षण, पत्थर परीक्षण या कोई अन्य परीक्षण शामिल हो सकता है।
 - बैंक एतद्वारा सीलबंद पैकेटों को फिर से खोलने, निरीक्षण और ऑडिट के उद्देश्य से मेरे द्वारा गिरवी रखी गई किसी भी वस्तु / आभूषण के टुकड़े को तोड़ने / काटने और वस्तुओं को एक ही पैकेट में रखने के लिए अधिकृत है और मैं इसके लिए सहमति देता हूँ और उसी के संबंध में किसी भी विवाद को उठाने के लिए स्वीकार करता हूँ, सहमत हूँ और नहीं करता हूँ।
 - मैंने किसी भी जानकारी को धारित / दबाया नहीं है जो ऋण के आवेदन पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निर्णय लेने को प्रभावित कर सकती है।
 - मैंने अपनी वित्तीय स्थिति / किसी अन्य जानकारी पर किसी भी जानकारी को रोक / दबाया नहीं है जो इस आवेदन पर बैंक के निर्णय लेने को प्रभावित कर सकती है।
 - मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि ऋण / वित्त की मंजूरी और / या संवितरण बैंक के पूर्ण विचार पर निर्भर करता है और मेरे द्वारा आवश्यक प्रतिभूतियों / दस्तावेजों को निष्पादित करने पर निर्भर करता है। यदि यह आवेदन किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है।
 - मैं समझता हूँ कि बैंक मेरे द्वारा अपेक्षित सुविधा के संबंध में अपने विवेकानुसार किसी भी स्रोत से कोई भी जानकारी मांगने या कोई भी जानकारी देने और/या किसी तीसरे पक्ष को कोई कार्य सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - मैं किसी भी व्यक्ति / संगठन द्वारा ऐसी जानकारी के उपयोग के लिए बैंक या उसके सहयोगियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि इस आवेदन के साथ सबमिट की गई तस्वीरें और दस्तावेज और किसी भी समय मुझे/ आवेदक को वापस नहीं करेंगे।
 - मैं आगे सहमत हूँ कि यह ऋण बैंक के क्रेडिट अनुमोदन मानदंडों द्वारा समय - समय पर लागू किया जाएगा। मुझे पता है कि मुझसे लिया गया प्रोसेसिंग शुल्क और लागू टैक्स किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं किए जा सकते।
 - मैं समझता/समझती हूँ कि ऋण से संबंधित सभी शुल्क जैसे प्रोसेसिंग शुल्क और/या पूर्व भुगतान जुर्माना और/या स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा।
 - मैं बैंक को उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र करने, एकत्र करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा गठित और अधिकृत किसी भी क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों या किसी अन्य इकाई के साथ मेरे द्वारा प्राप्त सुविधाओं से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करता हूँ। तदनुसार मैं ऐसी संस्थाओं को जानकारी का खुलासा करने के लिए सहमति देता हूँ।
 - मैं बैंक को मेरे बारे में और मेरे द्वारा ऐसे प्राधिकरण या संस्था को प्रस्तुत हमारे व्यवसाय या गतिविधि के बारे में जानकारी (बिना किसी सीमा के, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, आय विवरण और रिटर्न सहित) तक पहुंचने के लिए किसी भी अन्य सरकारी विभाग / प्राधिकरण / एजेंसी के साथ - साथ आयकर विभाग से संपर्क करने के लिए अधिकृत करता हूँ, बैंक से आवेदन की गई क्रेडिट सुविधा या सुविधाओं के संबंध में मेरे द्वारा बैंक को प्रस्तुत की गई जानकारी के साथ इसका सत्यापन करने के उद्देश्य से। यह प्राधिकरण तब तक वैध, जारी और लागू रहेगा जब तक कि बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधा या सुविधाओं के तहत बैंक को देय सभी राशियों का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है।
 - मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पास कोई क्रेडिट सुविधा नहीं है और न ही ऊपर उल्लिखित विवरणों के अलावा शाखाओं / बैंकों / FI के साथ कोई खाता है।
 - मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान का चूककर्ता नहीं हूँ।
 - मैं एतद्वारा सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के साथ अपने व्यक्तिगत KYC विवरण साझा करने की अनुमति देता हूँ।
 - मैं उपरोक्त पंजीकृत नंबरों के ईमेल पते पर SMS/ईमेल के माध्यम से केंद्रीय KYC रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता हूँ।
 - मुझे अपने ऋणों के बारे में फोन / SMS और/या ईमेल द्वारा जानकारी प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।
 - मैं समझता हूँ कि ऋण आवेदन का प्रसंस्करण इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है जिसकी प्रति मुझे प्रदान की गई है।
 - मैं वचन देता हूँ कि आपसे ली गई ऋण राशि का उपयोग मैं निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नहीं करूंगा:
 - प्राथमिक स्वर्ण, आभूषण, जेवर या सिक्के सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए या स्वर्ण द्वारा समर्थित वित्तीय परिसंपत्तियों, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) की यूनिटें या म्यूचुअल फंड की यूनिटें, की खरीद के लिए गोल्ड लोन नहीं दिया जाएगा।
 - प्राथमिक सोने या चांदी या प्राथमिक सोने या चांदी द्वारा समर्थित वित्तीय परिसंपत्तियों पर।
 - सट्टा, असामाजिक और अवैध गतिविधियों में।
 - किसान विकास पत्र सहित लघु बचत लिखतों में अधिग्रहण / निवेश और आपके बैंक के शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद के लिए और/या किसी भी कंपनी में प्रमोटर के रूप में मेरी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, जिससे मैं जुड़ा हो सकता हूँ।
 - क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) का उपयोग करके एयरोसोल इकाइयों के निर्माण के लिए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना।
 - भारतीय डिपॉजिटरी रसीदों की सदस्यता लेना।
 - शेयरों / प्रतिभूतियों को वापस खरीदें

यदि आपको या संबंधित प्राधिकारियों को यह पता चले कि ऋण राशि का उपयोग उपर्युक्त किसी एक या सभी उद्देश्यों के लिए किया गया है, तो ऐसे उल्लंघन को यहां दी गई शर्तों और नियमों के तहत चूक की घटना के रूप में समझा जाएगा और मैं तत्काल ऋण का पूरा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हूँ, अन्यथा आप मुझे और ऋण के अन्य पक्षों तथा ऋण के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति के खिलाफ बिना मेरा संदर्भ दिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- आपके साथ खाता खोलने या क्रेडिट प्राप्त करने के लिए, मैंने/हमने आपको आधार विवरण/अंगूठे का निशान प्रदान किया है। मैं/हम आपको यूआईडीआई से अपने ई-केवाईसी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं। इसके अलावा, मैं/हम यूआईडीआई को आपके साथ मेरे/हमारे जनसांख्यिकीय विवरण साझा करने के लिए अधिकृत करते हैं।

शुल्क अनुसूची - गोल्ड लोन (20 मार्च, 2025 से प्रभावी)		
ब्योरा	शुल्क (रु.)	
ऋण प्रोसेसिंग शुल्क	ऋण राशि का अधिकतम 2%	
अतिदेय राशि	बुलेट	EMI / केवल ब्याज / OD योजना
	बकाया राशि पर 36% प्रति वर्ष	दंडात्मक शुल्क अतिदेय राशि पर 36% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा, देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक प्लस लागू कर या अन्य वैधानिक शुल्क, यदि कोई हो।
EMI बाउंस शुल्क	रु. 500/- (प्रत्येक बाउंस किए गए इंस्टूमेंट के लिए)	
नोटिस शुल्क	रु. 50/- प्रति सूचना	
कस्टोडियन शुल्क	36% प्रति वर्ष (स्वीकृत ऋण राशि)	
स्टैंप ड्यूटी शुल्क	रु. 200/- प्रति ऋण खाता (राज्य स्तर पर वैधानिक/विधायी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन)।	
फोरक्लोजर शुल्क ****	बकाया मूलधन का 2%	
ओवरड्राउन शुल्क	गैर-अनुपालन की अवधि के लिए आहरण शक्ति से अधिक आहरित राशि पर 24% प्रति वर्ष	
पूर्व-आंशिक भुगतान शुल्क	पूर्व-भुगतान राशि का अधिकतम 2%	
प्रतिबद्धता शुल्क	अप्रयुक्त राशि का 1% (स्वीकृति सीमा-उपयोगित राशि का 70%) मासिक उपयोग, स्वीकृति सीमा के 60% से कम है। यही राशि तिमाही आधार पर ली जाएगी।	
ऋण पुनर्निर्धारण शुल्क (ग्राहक प्रेरित)	प्रत्येक ऋण अनुसूची के लिए रु. 500/-	
नीलामी विज्ञापन	न्यूजप्रिंट प्रकाशन के आधार पर वास्तविक खर्च	
नीलामी शुल्क	प्रति ऋण खाता रु. 150/-	
मूल्यांकनकर्ता शुल्क	रुपये 799/- से अधिक नहीं प्रति ऋण खाता	

* सभी शुल्कों और शुल्कों पर लागू दरों के अनुसार माल और सेवा कर (GST) अतिरिक्त लिया जाएगा।

** सभी शुल्क योजना और अवधि और वैधानिक आवश्यकता के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

22. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि बैंक अपने वित्तीय उत्पादों जैसे जमा, ऋण आदि को बेचने / बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार संवाददाताओं, बिक्री एजेंटों और व्यापार सुविधाकर्ताओं को संलग्न करता है, और हमें बैंक के साथ अपने संपर्क विवरण साझा करने और उनसे कॉल प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम, यह भी जानते हैं कि मुझे/हमें ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं के आचरण के किसी भी शिकायत सम्मान के मामले में बैंक के नोडल कार्यालय या ग्राहक देखभाल विभाग से संपर्क करने का अधिकार है।
23. उधारकर्ता एतद्वारा विशेष रूप से सहमत / सहमत है कि बैंक अपने विवेक पर और किसी भी परिवर्तन के कारण ब्याज दरों को बदलने/बदलने का हकदार होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक और / या समय - समय पर किसी अन्य नियामक / वैधानिक निकाय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। उधारकर्ता उपरोक्त के अनुसार ऐसी संशोधित दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत / सहमत है। यह सहमति है कि बैंक के लिए उधारकर्ता को ब्याज दर में परिवर्तन की सूचना भेजना आवश्यक नहीं होगा और समाचार पत्र में या नोटिस बोर्ड पर एक प्रकाशन पर्याप्त होगा और उधारकर्ता को इस तरह के परिवर्तन के लिए सहमति माना जाएगा। सुविधाओं के संबंध में खोले गए खातों में बकाया(ओं) पर ब्याज ऐसी दर पर लिया जाएगा जो बैंक द्वारा समय - समय पर बैंक के विवेकाधिकार पर निर्धारित की जा सकती है, बशर्ते कि दर बैंक के बेंचमार्क आधार दर में परिवर्तन और / या समय - समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों में परिवर्तन के अधीन होगी।
24. मैं सहमत हूं कि ऋण, यदि स्वीकृत किया जाता है, तो RBI के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा; संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के मेरे एक्सपोजर की तुलना में बैंक के साथ मेरे एक्सपोजर के आधार पर और जब भी मौजूदा एक्सपोजर में और/या मेरे अनुरोध पर कोई बदलाव होता है, तो आवश्यक संशोधन के अधीन होगा।

यह एप्लीकेशन नि:शुल्क है। इसे पाने के लिए आपको किसी को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है।
कृपया अपने सभी भुगतानों के लिए रसीदें प्राप्त करें। रसीद के बिना किए गए किसी भी भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारक

बीमा

- मैं / हम बैंक से लिए गए ऋण की सीमा तक अपने लिए / अपने लिए _____ बीमा योजना चुनने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं और बैंक के पक्ष में बीमा पॉलिसी, ग्रहणाधिकार का समर्थन करने के लिए भी सहमत होते हैं। बीमा और कवर की गई राशि की विषय और विवरण मुझे बैंक द्वारा समझाया गया है।
- मैं / हम बैंक के बीमा भागीदार से _____ बीमा योजना बीमा की व्यवस्था करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।
- मेरी मृत्यु के मामले में, बैंक क्लेम राशि से बकाया ऋण राशि को समायोजित करेगा बशर्ते बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की अनुमति दी गई हो और शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान मेरे नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा, जिसका नाम आवेदन में है।

ग्राहक घोषणा:

मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से _____ बीमा योजना का लाभ उठाना चाहूंगा और डिजिटाइज्ड आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान की है। मैं बैंक को ऋण राशि से प्रीमियम काटने के लिए भी अधिकृत करता हूँ और शेष राशि आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाता संख्या में वितरित की जाएगी।

तारीख:

जगह:

अगर यह रिक्त है, तो इस फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें, कृपया सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक अनुभाग और कॉलम पूरी तरह से आपकी संतुष्टि के लिए भरे गए हैं और फिर केवल फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारक

मनोनयन

गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों / आभूषणों / सिक्कों के संबंध में और बैंक की अभिरक्षा में नामांकन। मैं _____ (ग्राहक का नाम) निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ, जिसे मेरी मृत्यु की स्थिति में स्वर्ण आभूषण / गहने / सिक्के गिरवी रखे जाते हैं और बैंक की हिरासत में, विवरण जहाँ गिरवी कार्ड में उल्लिखित है, बैंक द्वारा बकाया राशि के पूर्ण भुगतान पर वापस किया जा सकता है जिसमें लागू होने वाले मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्क शामिल हैं।

नामांकित व्यक्ति का नाम और पता _____ (कृपया सुनिश्चित करें कि नामांकित व्यक्ति नाबालिग नहीं हैं)।

उधारकर्ता के साथ संबंध _____ आयु _____ DOB _____ मैं पुष्टि करता हूँ कि यह नामांकन मेरे द्वारा किए गए किसी भी अन्य स्वभाव को ओवरराइड करेगा, चाहे वसीयतनामा हो या अन्यथा और नामांकित व्यक्ति गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों / आभूषणों / सिक्कों की वापसी का हकदार होगा और अन्य सभी व्यक्तियों के बहिष्करण के लिए बैंक को सभी बकाया के भुगतान के खिलाफ बैंक की हिरासत में होगा। मैं आगे पुष्टि करता हूँ कि इस तरह के रिटर्न पर बैंक को रिहा और छुट्टी दे दी जाएगी।

तारीख:

जगह:

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारक

स्थानीय साक्ष्य, यदि लागू हो

मैं _____ का बेटा/बेटी/ _____ की पत्नी एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र की विषय मुझे _____ में _____ द्वारा पढ़ी और समझाई गई थी और मैंने इसे समझ लिया है।

गवाह का नाम _____ हस्ताक्षर _____

आवेदक का हस्ताक्षर

गवाह 1 _____ गवाह का पता _____

गवाह 2 _____
(केवल अनपढ़ ग्राहक के लिए)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

जोखिम वर्गीकरण: L M H

शाखा: _____

योजना: _____

ग्राहक ID (केवल नए ग्राहक के लिए) _____

ऋण सं: _____

शाखा कोड _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

नाम _____

पद का नाम _____

कर्मचारी कोड: _____

सन्दर्भ

कृपया 2 संदर्भ प्रदान करें:-

- नाम: _____ मोबाइल नंबर: _____ ईमेल ID: _____ संबंध: _____
- नाम: _____ मोबाइल नंबर: _____ ईमेल ID: _____ संबंध: _____

में लगभग वर्ष का बेटा / बेटा /

पत्नी जो वर्ष का निवासी है (जिसे बाद में "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसे बाद में "बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है) से सोने के खिलाफ ऋण लिया है और नीचे उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों (जिसे बाद में "नियम और शर्तें" के रूप में संदर्भित किया गया है) का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

A. प्रतिनिधित्व और वारंटी:

- उधारकर्ता सोने के आभूषणों का एकमात्र और पूर्ण मालिक होगा (जिसे बाद में "गोल्ड आर्टिकल्स" के रूप में संदर्भित किया गया है) ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में पेश किया गया है और उधारकर्ता को उन्हें गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार है। यदि उधारकर्ता अन्यथा कार्य करता है, तो वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस तरह के कृत्यों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान / क्षति के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।
- उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋण राशि का उपयोग किसी भी अवैध या सट्टा उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
- उधारकर्ता इस तरह के अनुदान / वसूली / वसूली या सुरक्षा के प्रवर्तन के संबंध में प्रशासन, कर, डाक, कूरियर शुल्क, स्टॉप शुल्क, चेक बाउंसिंग और अन्य लागतों / खर्चों से संबंधित सभी शुल्क का भुगतान / प्रतिपूर्ति करेगा।
- RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, NPA के रूप में खातों का वर्गीकरण उधारकर्ता के अनुसार किया जाता है न कि सुविधा के अनुसार और इसलिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंक से प्राप्त किसी भी सुविधा के मामले में ग्राहक द्वारा बकाया का भुगतान न करने के मामले में और परिणामस्वरूप खाते को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। उधारकर्ता के बैंक के साथ अन्य सभी ऋण खातों को भी NPA द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार RBI के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यह बैंक को बैंक से एक ही ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे सभी ऋणों / सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार देगा। ऐसे खातों में नियमित पुनर्भुगतान की परवाह किए बिना।

B. ब्याज शुल्क:

- उधारकर्ता प्लेज कार्ड में निर्दिष्ट दर पर ऋण के संचितरण की तारीख से ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ब्याज / शुल्क दिन - प्रतिदिन अर्जित होंगे और योजना/उत्पाद के आधार पर वर्ष में 360/365 दिनों के आधार पर गणना की जाएगी।
- चयनित योजना और कार्यकाल के आधार पर समय - समय पर लागू होने वाले खाते के समयपूर्व फोरक्लोजर के लिए शुल्क लगाया जाएगा। कृपया लॉक इन अवधि के लिए सहयोग राशि कार्ड देखें।
- इन नियमों और शर्तों के तहत उधार लेना एक वाणिज्यिक लेनदेन है, जो ब्याज दरों में संशोधन के अधीन है। उधारकर्ता ब्याज वसूलने से संबंधित जाली या अन्य कानूनों के तहत किसी भी बचाव को माफ कर देता है।

C. ऋण का पुनर्भुगतान:

- प्रिंसिपल और ब्याज प्लेज कार्ड में निर्दिष्ट ऋण शर्तों के अनुसार या पहले की मांग पर, यदि बैंक से कोई हो, चुकाने योग्य है।
- उधारकर्ता स्वीकार करता है कि बिना किसी चूक के पुनर्भुगतान अनुसूची का सख्त अनुपालन, ऋण के अनुदान और निरंतरता के लिए एक आवश्यक शर्त है और वह समय इस लेनदेन का सार है।
- यदि भुगतान नियत तारीखों से पहले किया जाता है, तो भुगतान के लिए क्रेडिट केवल साधन की प्राप्ति पर और नियत तारीखों के अनुसार दिया जाएगा, भले ही नियत तारीख से पहले वसूल किया गया हो।
- यदि, उधारकर्ता भागों / पूर्ण में ऋण का भुगतान करता है या फोरक्लोजर करता है, तो राशि को शुल्क के क्रम में समायोजित किया जाएगा, इसके बाद ब्याज और मूल आधार पर खर्च किया जाएगा।
- उधारकर्ता मूल / ब्याज का भुगतान करने के लिए मूल प्लेज कार्ड जाएगा और इसे अंतिम भुगतान / मोचन के समय बैंक को आत्मसमर्पण करना होगा।
- मूल प्लेज कार्ड को सरेडर किए बिना गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं के मोचन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उधारकर्ता द्वारा मूल प्लेज कार्ड के नुकसान के लिए या यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- ऋण खाते के अंतर्गत देय संपूर्ण राशि का भुगतान करने के पश्चात ऋणकर्ता को 12 कार्य दिवसों के भीतर बैंक से स्वर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने होंगे, जैसा कि अवधि या फौजदारी के अनुसार है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो बैंक अपने विवेकानुसार और ऐसा करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना, ऋणकर्ता को अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस भेजकर ऋणकर्ता से स्वर्ण लेख को भुनाने का आग्रह कर सकता है। ऋणकर्ता को, स्वीकृत ऋण राशि पर 36% प्रति वर्ष की दर से, उपरोक्त निःशुल्क अवधि के पश्चात, स्वर्ण लेखों के वास्तविक मोचन की तिथि तक बैंक को संरक्षक शुल्क का भुगतान करना होगा।

D. सिक्योरिटी:

- उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों के तहत प्राप्त वित्तीय सुविधा के लिए एक विशेष शुल्क के रूप में बैंक के पक्ष में सोने की वस्तुओं को गिरवी रखता है।
- बैंक को इस ऋण के तहत उधारकर्ता द्वारा उसे या उसकी सहायक कंपनियों या समूह कंपनियों को देय किसी अन्य देयता के खिलाफ इस ऋण के तहत दी गई सुरक्षा को बनाए रखने का अधिकार है।
- उधारकर्ता यह वचन देता है कि यदि किसी भी समय उधारकर्ता हर महीने उसके द्वारा देय पूर्ण ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है, यदि ऋण ब्याज भुगतान योजना या किस्त के एक हिस्से के तहत है, यदि ऋण किस्त योजना के तहत है और / या वस्तुओं की बिक्री द्वारा बाजार मूल्य / अधिकतम प्राप्य राशि मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों के माध्यम से उधारकर्ता से कुल प्राप्य राशि से कम या उसके बराबर है, तो उधारकर्ता बैंक से उस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, ब्याज, शुल्क और लागत सहित ऋण का भुगतान करेगा, यदि कोई हो। उधारकर्ता द्वारा उक्त 7 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफलता के मामले में, बैंक बिना किसी और सूचना के अपने विवेक पर, किसी भी नुकसान या क्षति या मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी होने के बिना, बेच / निपटान कर सकता है, और इस संबंध में उधारकर्ता द्वारा देय राशियों के मुकाबले शुद्ध बिक्री आय को वसूलने योग्य बना सकता है। बैंक शेष राशि की वसूली के लिए उधारकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार होगा, यदि कोई हो, जो बिक्री की तारीख के अनुसार बकाया राशि के विनियोग के बाद भी उधारकर्ता द्वारा देय और देय हो सकता है।
- यदि सोने के खिलाफ ऋण ब्याज भुगतान योजना के तहत है और उधारकर्ता 3 महीने की अवधि के लिए ब्याज राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या इसके भुगतान में देरी करता है, तो बैंक ब्याज और लागतों के साथ पूरी मूल राशि मांगने का हकदार होगा, जो अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उधारकर्ता से देय हो सकती है।
- प्रतिभूतियों की गिरवी प्रभावी रहेगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि उधारकर्ता बैंक को इस / किसी अन्य समझौते के तहत देय सभी राशियों का भुगतान नहीं करता है, जिसमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत शुल्क, सभी राशियां शामिल हैं जो देय हो सकती हैं और यहां दी गई शर्तों के अनुसार देय हो सकती हैं और जब तक बैंक यहां बनाई गई सुरक्षा का निर्वहन नहीं करता है।
- प्रतिज्ञा मृत्यु, दिवालियापन, लेनदारों के साथ समझौते, उधारकर्ता की शारीरिक या मानसिक विकलांगता से प्रभावित, खराब या उन्मोचित नहीं होगी।
- यदि गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं का मूल्य बैंक के गिरवी कार्ड / स्वीकृति पत्र में समय - समय पर निर्धारित मार्जिन मूल्य से नीचे आता है, तो यहां या अन्यथा उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गिरवीकर्ता(ओं) को इस संबंध में बैंक से नोटिस प्राप्त होने पर, 48 घंटे के भीतर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, इस तरह के अतिरिक्त सोने के आभूषण गिरवी रखना होगा / नकद में भुगतान करना होगा, जैसा कि गिरवी रखे गए सोने के ऋण मार्जिन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकता है। संदेह से बचने के लिए, बैंक के पक्ष में अतिरिक्त गिरवी रखे गए सोने के आभूषण / वस्तुएँ, गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों का हिस्सा बनेंगे और बिना किसी आगे के कार्य, विवस्तुएँ या वस्तुएँ के बिना ऋण उद्देश्य के लिए निष्पादित समझौते के नियमों और शर्तों द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित होंगे। गिरवीकर्ता(ओं) द्वारा बैंक के साथ गिरवी रखे गए सोने के मार्जिन मूल्य को बनाए रखने के लिए, बैंक द्वारा अनुरोध के अनुसार, समय - समय पर अतिरिक्त सोने की गिरवी की आवश्यकता हो सकती है।

पूर्वोक्त खंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, गिरवीकर्ता सहमत होता है और वचन देता है कि इसलिए अतिरिक्त सोने के गहने गिरवी रखने की आवश्यकता पर, गिरवीकर्ता बैंक के पक्ष में अतिरिक्त सोने के आभूषणों / लेखों पर गिरवी दर्ज करने के लिए, बैंक द्वारा आवश्यक सभी दस्तावेजों को निष्पादित करेगा। यदि, यदि गिरवीकर्ता / उधारकर्ता ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर अतिरिक्त सोने के आभूषण / वस्तुएँ गिरवी रखने में विफल रहते हैं, तो बैंक के पास निजी व्यवस्था या सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से और बाजार मूल्यों पर छूट सहित ऐसी कीमत पर, बिना किसी और सूचना के, गिरवी रखे गए सोने के आभूषण / वस्तुएँ तुरंत बेचने का विकल्प होगा, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है और गिरवीकर्ता द्वारा बैंक को बकाया ऋण के परिसमापन के लिए ऐसी बिक्री की शुद्ध आय को लागू करें, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उक्त बिक्री आय के समायोजन के बाद किसी भी कमी को बैंक द्वारा मांग पर गिरवी / उधारकर्ताओं द्वारा तुरंत चुकाया जाएगा।

गिरवीकर्ता(ओं) इस बात से सहमत हैं कि अतिरिक्त गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों / लेखों को गिरवी रखने के लिए उपरोक्त खंड (a) के अनुसार नोटिस, गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों / लेखों को लागू करने / बेचने के लिए भी नोटिस माना जाएगा और भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उचित नोटिस माना जाएगा।

गिरवीकर्ता आगे सहमत है और स्वीकार करता है कि, जहां उपरोक्त खंड में उल्लिखित गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों के मूल्य में गिरावट बाजार में अस्थिरता या किसी असाधारण या असामान्य घटना या परिस्थिति के कारण है जो बैंक के हित को प्रभावित करती है या प्रभावित करने की संभावना है या गिरवीकर्ता को प्रदान की गई सुविधा के संबंध में बकाया शेष राशि और अन्य लागतों के निपटान या वसूली की दिशा में किसी भी संभावित वित्तीय नुकसान या क्षति के लिए बैंक को बेनकाब करने की संभावना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऊपर क्या सहमति है, बैंक 48 घंटे के नोटिस की सेवा नहीं कर सकता है और कम दिनों / समय के साथ जारी किए गए किसी भी नोटिस को उचित माना जाएगा और भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरवी के आवहान के लिए पर्याप्त नोटिस माना जाएगा।

E. कंपनी के अन्य अधिकार:

1. ऋण को मंजूरी देकर, बैंक उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं की शुद्धता या गुणवत्ता की पुष्टि या स्वीकार नहीं करता है। यदि बैंक को पता चलता है कि गिरवी रखी गई सोने की वस्तुएं उधार देने के आवश्यक गुणवत्ता या शुद्धता मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं या नकली प्रकृति की हैं, तो उधारकर्ता बैंक के ऐसे निष्कर्षों से बाध्य है और बैंक का नुकसान पूरा करेगा, ऐसा न करने पर बैंक को इस तरह के नुकसान की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।
2. बैंक किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को इस ऋण लेनदेन में बैंक को अर्जित होने वाले सभी अधिकारों, उपाधियों और ब्याज को बेचने, स्थानांतरित करने, असाइन करने और प्रतिभूतिकरण करने या उधारकर्ता को बिना किसी सूचना या सलाह के उस पर शुल्क बनाकर उधार लेने / लेने का अपना पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक को धन उधार लेने / ऋण प्राप्त करने के लिए इस ऋण लेनदेन के लिए सुरक्षा के रूप में दिए गए सभी दस्तावेजों, कर्मां या सोने के आभूषणों को सुरक्षा के रूप में देने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
3. बैंक की ओर से चोरी या लापरवाही के कारण सोने की वस्तुओं के नुकसान की स्थिति में, बैंक की देयता केवल प्लेज कार्ड में बताए गए सोने की वस्तुओं के शुद्ध वजन तक ही सीमित होगी, बैंक इस तरह की घटना में मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों को समायोजित करने के बाद अंतर राशि का दावा करने का अधिकार देगा या सुरक्षित रखेगा। यदि गिरवी रखी गई ऐसी सोने की वस्तुओं को किसी भी कीमती पत्थर के साथ एम्बेडेड किया जाता है, तो बैंक की देयता केवल सोने के वजन की सीमा तक सीमित होगी।
4. बैंक के साथ गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं को पर्याप्त सुरक्षा में उधारकर्ता के जोखिम पर रखा जाएगा और बैंक सुरक्षा लॉकर / सुरक्षा की पर्याप्त देखभाल करेगा। फिर भी, बैंक दुर्घटना, अप्रत्याशित दुर्घटना, भगवान के कार्य, दंगा, चोरी आदि के किसी भी कारण से सोने के लेखों को किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

F. डिफॉल्ट की घटनाएँ:

1. यदि उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक के कारण किसी भी राशि को प्रेषित करने में चूक करता है, तो उधारकर्ता बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, गिरवी कार्ड में उल्लिखित दर पर या ऐसी उच्च दर पर जो बैंक समय - समय पर डिफॉल्ट की तारीख से भुगतान की तारीख तक बकाया पूरे ऋण पर निर्दिष्ट / अंतरंग कर सकता है।
2. उधारकर्ता एतद्वारा बैंक को अदालत के हस्तक्षेप के बिना, निजी बिक्री या सार्वजनिक नीलामी द्वारा या ऐसे अन्य तरीके से सोने के लेखों को बेचने / हस्तांतरित करने / असाइन करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है, जैसा कि बैंक उचित समझ सकता है।
3. बकाया की वसूली के लिए कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि बैंक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का हकदार होगा क्योंकि वह फिट हो सकता है और ऐसे तीसरे पक्ष इन नियमों और शर्तों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को ले जा सकते हैं, जिसमें उधारकर्ता की किसी भी पूर्व सहमति के बिना बकाया राशि एकत्र करने का अधिकार शामिल है।
4. नीलामी प्रक्रिया: यदि ऋण को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार या 90 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रिंसिपल और / या ब्याज की सेवा नहीं करके निरंतर डिफॉल्ट की स्थिति में चुकाया नहीं जाता है, तो गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं को उधारकर्ता को नोटिस के बाद सार्वजनिक नीलामी / निजी बिक्री में बेचा जाएगा। सोने की वस्तुओं को नीलामी / निजी बिक्री में उच्चतम बोली मूल्य पर बेचा जाएगा और बिक्री की आय को बकाया ऋण के साथ उस तारीख तक बकाया ब्याज, दंड शुल्क और नीलामी / निजी बिक्री के संबंध में किए गए अन्य सभी आकस्मिक खर्चों के साथ समायोजित किया जाएगा। यदि बैंक में कोई अधिशेष है, तो बैंक, उसकी सहायक कंपनियों या समूह कंपनियों को किसी भी खाते पर स्वयं या संयुक्त रूप से उधारकर्ता के किसी अन्य दायित्व के खिलाफ ऐसी राशि को उपयुक्त करेगा और उधारकर्ता को शेष राशि, यदि कोई हो, वापस कर देगा।
5. सुरक्षा के प्रवर्तन की स्थिति में, बैंक सुरक्षा के मूल्य में किसी भी कमी के लिए वसूली गई या उत्तरदायी राशि में किसी भी नुकसान या कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस तरह की बिक्री उधारकर्ता की ओर से बैंक द्वारा की जाएगी और बैंक द्वारा अधिकारों के प्रयोग / गैर - प्रयोग के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में हानि / क्षति / कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। उधारकर्ता न तो बिक्री की नियमितता के बारे में कोई आपत्ति उठाने का हकदार होगा और / या उक्त उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा लगे किसी भी ब्रोकर या नीलामीकर्ता या अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से किसी अधिनियम या डिफॉल्ट से उत्पन्न हो सकता है।

G. नकली सोने की वस्तुएँ:

यदि बैंक को पता चलता है कि ऋणी द्वारा बैंक के पास गिरवी रखे गए सोने के आभूषण नकली हैं तथा न्यूनतम 22 कैरेट शुद्धता के नहीं हैं, तो बैंक अपने विवेक से ऋण को तत्काल वापस ले सकता है तथा ऋणी को बैंक द्वारा निर्धारित संपूर्ण बकाया, क्षति, हानि/अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि उधारकर्ता को उसके संचार में बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर उधारकर्ता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक उधारकर्ता के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाई शुरू करने के अपने अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

H. चुराए गए सोने के वस्तुएँ:

उधारकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा यदि बैंक को गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं को किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा हिरासत में लिया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग भी शामिल है और ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित पूरे बकाया और अन्य शुल्कों को चुकाने के अलावा इस संबंध में बैंक द्वारा की जाने वाली लागत / हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त G और H के तहत स्थितियां भी डिफॉल्ट की घटना(ओं) का गठन करेंगी और उधारकर्ता बैंक द्वारा सूचित किए जाने पर तुरंत अपने ऋण खाते के तहत सभी राशियों का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होगा। विफलता पर, उधारकर्ता को यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार और कानून के आपराधिक प्रावधानों के तहत दोनों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है।

I. अन्य:

1. बैंक इसके लिए अंतिम रूप से ज्ञात पते / विवरण पर पावती देय या स्पीड पोस्ट के साथ पंजीकृत डाक द्वारा उधारकर्ता को यहां कोई भी नोटिस भेजने का हकदार होगा और इस तरह के नोटिस को पोस्टिंग की तारीख या रसीद की वास्तविक तारीख के बाद तीसरे कार्य दिवस पर प्रभावी माना जाएगा, जो भी पहले हो। उधारकर्ता KYC फॉर्म में दिए गए पते / फोन नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करेगा।
2. उधारकर्ता शाखा के कामकाजी घंटों के दौरान ब्याज का भुगतान करेगा या ऋण खाते को भुनाएगा। यदि, नियत तारीख सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है, तो उधारकर्ता एक दिन पहले भुगतान करेगा, ऐसा न करने पर डिफॉल्ट अवधि के लिए लागू अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
3. EMI पुनर्भुगतान विकल्प के मामले में, अंतिम EMI भुगतान प्राप्त होने पर, बैंक उधारकर्ता को 5 कार्य दिवसों (भुगतान की वसूली और सभी बकाया, यदि कोई हो) के बाद स्वर्ण वस्तुएं जारी करेगा।
4. उधारकर्ता को बिना शर्त ऋण नियम और शर्तों के लिए सहमत माना जाएगा और KYC फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अभ्यावेदन किया जाएगा। उपरोक्त नियम और शर्तें इस ऋण के संबंध में किसी भी अन्य दस्तावेजों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों, यदि कोई हो, के अपमान के अलावा नहीं होंगी।

J. मध्यस्थता:

- a) इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और / या दावे चाहे उसके निर्वाह के दौरान या उसके बाद मध्यस्थता और शर्त अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाएंगे और उन्हें बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। ऐसे मध्यस्थ द्वारा दिया गया पुरस्कार इस समझौते के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। किसी नियुक्त मध्यस्थ के मरने या किसी कारण से मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक होने की स्थिति में, मध्यस्थ की ऐसी मृत्यु या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में उसकी असमर्थता या अनिच्छा पर, बैंक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा, जिस पर वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान चेन्नई या ऐसे अन्य स्थान / स्थान / शहर में होगा जिसे बैंक अपने विवेक से समय - समय पर तय कर सकता है।

K अधिकार - क्षेत्र:

इस समझौते और यहां किए जाने वाले किसी भी संशोधन को भारत के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और मध्यस्थता खंड के अधीन, चेन्नई की अदालतों के पास इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

स्वीकार करें कि ऋण, यदि स्वीकृत किया जाता है, तो मेरे द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन और मेरे द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों का आधार होगा और मुझे इस दस्तावेज़ / घोषणा की विषय के बारे में मुझे ज्ञात भाषा में पढ़ा और समझाया गया है और मैंने इसे पूरी तरह से समझने के बाद इस दस्तावेज़ / शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ऋण के संबंध में लागू होने वाले सभी नियमों / विनियमों / नियमों और शर्तों का पालन करूंगा।

L. नोट

ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के संतोषजनक समापन और बैंक द्वारा आपके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों को स्वीकार करने पर, दो (2) कार्य दिवसों के भीतर, लोन वितरित किया जाएगा, जो बैंक के नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

जगह:

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारकर्ता

तारीख:

नाम:

I. परिभाषाएँ

1. "सोने की वस्तुएं" का अर्थ सोने के गहने या गहने या सिक्के होंगे, जो 18 कैरेट से कम नहीं होंगे, जैसा कि इन्वेंटरी सह मूल्यांकक प्रमाणपत्र में वर्णित है, जिसे बैंक के पक्ष में सुरक्षा के रूप में पेश किया गया है या पेश किया गया है, और इसमें अतिरिक्त सुरक्षा के संदर्भ भी शामिल हैं।
2. "उधारकर्ता" का अर्थ वह आवेदक होगा जिसे बैंक द्वारा ऋण सुविधा दी गई है और इसमें उसके कानूनी उत्तराधिकारी / नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे।
3. "उधारकर्ता का बकाया" का अर्थ है और इसमें सुविधा की बकाया मूल राशि, ब्याज, सभी शुल्क, लागत, शुल्क, खर्च, स्टॉप शुल्क और उधारकर्ता द्वारा देय अन्य सभी धन शामिल हैं।
4. "नियत तारीख" का अर्थ वह तारीख है जिस पर उधारकर्ता के बकाया के संबंध में कोई भी राशि देय होती है, जैसा कि लेनदेन दस्तावेजों में निर्दिष्ट किया जा सकता है या जैसा कि बैंक द्वारा किसी भी समय जारी किए गए किसी भी मांग नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है, जो भी बाद में हो।
5. "सुविधा" का अर्थ है बैंक द्वारा उधारकर्ता को प्रदान की जाने वाली या प्रदान करने के लिए सहमत ऋण की राशि, कुल मिलाकर, स्वीकृति पत्र / गिरवी कार्ड में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं।
6. "लेन - देन दस्तावेज" में आवेदन पत्र, स्वीकृति पत्र / प्रतिज्ञा कार्ड, MITC, मानक शर्तें और सभी वस्तुओं और अन्य दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति (जैसा भी मामला हो) द्वारा समय - समय पर संशोधित किया गया है, सुविधा और ऐसे प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज के संबंध में निष्पादित या दर्ज किया जाना है।

II. सुविधा, संवितरण और मार्जिन

1. उधारकर्ता को मंजूर की गई सुविधा राशि समय - समय पर सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं के मूल्य और बैंक द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा मार्जिन के अधीन होगी। लेन - देन दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अधीन, सुविधा को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से वितरित / अनुमति दी जा सकती है जैसे डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / कैश / अकाउंट ट्रांसफर / ओवरड्राफ्ट।
2. बैंक उधारकर्ता की ड्राइंग पॉवर को अलग - अलग करने का हकदार होगा यदि सोने की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और यदि कोई भी धन उधारकर्ता द्वारा देय और देय रहता है, तो ड्राइंग पॉवर की उपलब्धता को कम कर सकता है और / या उपलब्ध ड्राइंग पावर के खिलाफ इस तरह के बकाया धन को समायोजित कर सकता है और ऐसे सभी समायोजन उधारकर्ता द्वारा आहरण के रूप में माना जाएगा।
3. सुविधा, उधारकर्ता के अनुरोध के अनुसार, बैंक द्वारा उधारकर्ता को वितरित की जाएगी। सुविधा राशि उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी प्रशासनिक शुल्क, प्रीमियम, प्रवस्तुएँ शुल्क, लेनदेन / प्रसंस्करण शुल्क आदि के उधारकर्ता नेट को वितरित की जाएगी।

III. पुनर्भुगतान, पूर्वभुगतान और ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान:

1. उधारकर्ता, किसी भी कर के लिए या उसके कारण, किसी भी कटौती के बिना, लेन-देन दस्तावेजों में निर्दिष्ट दरों पर और नियत तिथियों पर, उधारकर्ता के बकाया का भुगतान/चुकाता करेगा।
2. उधारकर्ता बकाया राशि पर बैंक को ब्याज और अन्य सभी शुल्कों का भुगतान करेगा, दरों पर, तारीखों पर और स्वीकृति पत्र / प्रतिज्ञा कार्ड में निर्दिष्ट तरीके से। उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI") द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समय - समय पर बैंक द्वारा की गई ब्याज दरों में परिवर्तन के अधीन होगा। बैंक द्वारा संबंधित खाते में डेबिट किए जाने पर सुविधा या अन्य शुल्कों के तहत बकाया राशियों पर ब्याज की गणना ऐसे खाते में दैनिक डेबिट बैलेंस पर की जाएगी। ब्याज और अन्य सभी शुल्क दिन - प्रतिदिन प्राप्त होंगे और योजना/उत्पाद के आधार पर 360/365 दिनों के वर्ष और बीते दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर गणना की जाएगी।
3. सभी उधारकर्ता का बकाया, यदि संबंधित देय तिथियों पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो लागू ब्याज दर के अलावा, लेनदेन दस्तावेजों में निर्दिष्ट अतिरिक्त ब्याज ("डिफॉल्ट ब्याज") ले जाएगा। इस तरह के ब्याज की गणना संबंधित देय तिथियों से उसके भुगतान तक की जाएगी और मासिक विश्राम के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर देय हो जाएगा जो बैंक द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उधारकर्ता द्वारा किसी भी डिफॉल्ट पर लागू ब्याज की दर उचित है।
4. उधारकर्ता, बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ, उधारकर्ता के बकाया का पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्व भुगतान कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो बैंक द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं (पूर्व - भुगतान शुल्क के भुगतान सहित)।
5. उधारकर्ता सभी खर्चों, लागतों, शुल्कों, कर्तव्यों और करों (सेवा कर, ब्याज कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (VAT) सहित किसी भी विवरण का भुगतान करेगा जो समय - समय पर सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाया जा सकता है या सुविधा, सोने की वस्तुओं, लेनदेन दस्तावेजों, उधारकर्ता के बकाया की वसूली और वसूली या सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए की गई किसी भी कार्यवाई के संबंध में बैंक द्वारा किया जा सकता है। यदि बैंक द्वारा ऐसा कोई भुगतान किया जाता है, तो उधारकर्ता बैंक को ऐसी मांग करने के 7 दिनों के बैंक भीतर बिना किसी कटौती के लागू ब्याज के साथ ऐसी राशियों की प्रतिपूर्ति करेगा (जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो); ऐसा करने में विफलता डिफॉल्ट ब्याज को आकर्षित करेगी।
6. बैंक अपने पूर्ण विवेक से, सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी भुगतान या सुरक्षा के प्रवर्तन द्वारा बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी राशि, लेन - देन दस्तावेजों और / या उधारकर्ता और बैंक के बीच किसी भी अन्य समझौते के तहत बैंक को उधारकर्ता द्वारा देय देय राशि के लिए उपयुक्त हो सकता है। इस तरह के किसी भी विनियोग के बावजूद, उधारकर्ता उधारकर्ता के बकाया सहित सभी बकाया / शेष राशियों के लिए बैंक के लिए उत्तरदायी रहेगा।
7. उधारकर्ता का बकाया खाते में या ऐसे अन्य खातों में भुगतान किया जाएगा जैसा कि बैंक उधारकर्ता को या नकद या मेल हस्तांतरण द्वारा या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में या किसी अनुसूचित बैंक पर तैयार किए गए चेक / बैंक ड्राफ्ट द्वारा सूचित कर सकता है और इसका भुगतान किया जाएगा ताकि बैंक को रिश्तेदार की नियत तारीख को या उससे पहले राशि का एहसास हो सके।

IV. सुरक्षा

1. उधारकर्ता ने सुविधा को सुरक्षित करने के लिए सोने के आभूषणों को सभी ब्याज, परिसमाप्त क्षति, लागत, प्रभार, व्यय और उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय किसी भी धनराशि के साथ पहले ही जमा कर दिया है, और उधारकर्ता सोने की वस्तुओं पर बैंक या उसके ट्रस्टियों (जिसे आगे "सुरक्षा" के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में ऐसी सुरक्षा बनाकर और सुरक्षा के निर्माण के संबंध में सभी औपचारिकताओं का विधिवत पालन करेगा।

2. यदि उसके आभूषणों का कोई भी हिस्सा नकली या निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है; इस अधिनियम को धोखाधड़ी माना जाएगा, और बैंक सुविधा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. इस प्रकार बनाई गई सुरक्षा, तब तक जारी रहेगी और पूर्ण रूप से उधारकर्ता के बकाया का भुगतान होने तक पूर्ण बल और प्रभाव में रहेगी और लेन - देन दस्तावेजों के तहत या लेन - देन दस्तावेजों के तहत किसी भी उधारकर्ता द्वारा या सुविधा या किसी भी लेन - देन दस्तावेजों की शर्तों में किसी भी संशोधन या भिन्नता द्वारा उधारकर्ता की मृत्यु, दिवालियापन, कानूनी विकलांगता, उधारकर्ता की अक्षमता या अमान्यता, हताशा या अन्य अप्रवर्तनीयता से प्रभावित या छुट्टी नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी समय बैंक द्वारा निदिष्ट माजिन की आवश्यकता में कमी पैदा करने के लिए सुरक्षा का मूल्य गिरता है या पुलिस विभाग सहित किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा सोने के लेखों को हिरासत में लिया जाता है, तो उधारकर्ता तुरंत बैंक से सूचना पर, नकद या ऐसी अन्य सुरक्षा के रूप में बैंक अतिरिक्त सुरक्षा के साथ जमा करेगा जो बैंक (अतिरिक्त सुरक्षा) को स्वीकार्य हो सकती है, ऐसा न करने पर बैंक अपने विवेक से किसी भी या सभी सुरक्षा को बेच सकता है, निपटान कर सकता है या महसूस कर सकता है, बिना किसी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इसके साथ ही बैंक के किसी भी शेष राशि / अतिरिक्त राशि के लिए उधारकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सुविधा के संबंध में बकाया हो सकता है।

4. इस प्रकार बनाई गई सुरक्षा, तब तक पूर्ण रूप से लागू रहेगी और प्रभावी रहेगी जब तक कि उधारकर्ता की बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता है और उधारकर्ता द्वारा बैंक को बैंक या उसके न्यायियों (जिन्हें इसके बाद प्रतिभूति कहा जाएगा) के पक्ष में स्वर्ण वस्तुओं पर ऐसी प्रतिभूति सृजित करके बैंक को देय कोई भी धनराशि देय नहीं होगी और प्रतिभूति सृजित करने के संबंध में सभी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया जाएगा।

5. किसी भी स्थिति में, गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं के संबंध में बैंक की अधिकतम देयता, यदि कोई हो, तो (a) सोने की वस्तुओं के कुल नुकसान के मामले में, गैर - सोने की जकड़न, कीमती और अर्ध - कीमती पत्थरों के मूल्य को छोड़कर बैंक द्वारा निर्धारित सोने की वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं (b). अन्य मामलों में केवल सोने की वस्तुओं की मरम्मत की लागत की सीमा होगी।

V. प्रतिनिधित्व, वारंटी और वाचाएं

1. उधारकर्ता के पास लेनदेन दस्तावेजों में प्रवेश करने की क्षमता और अधिकार है और उसने बैंक को अपने और सोने के लेखों के संबंध में सभी विषय प्रकटीकरण किए हैं।

2. उधारकर्ता सभी लागू कानूनों और लेनदेन दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करेगा और इस बात से सहमत होगा कि इंटरनेट, कॉल सेंटर या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रभावित सभी लेनदेन कानूनी रूप से बाध्यकारी और वैध लेनदेन का गठन करेंगे।

3. उधारकर्ता सोने के लेखों का एकमात्र और पूर्ण मालिक होगा और उसे सोने के लेखों पर सुरक्षा बनाने का पूरा कानूनी अधिकार और अधिकार होगा। उधारकर्ता सुविधा की अवधि के दौरान सोने के लेखों पर कोई भार पैदा नहीं करेगा और कोई अन्य व्यक्ति या इकाई सोने के लेखों के कब्जे, उपयोग या नियंत्रण के लिए हकदार नहीं होगी। सोने की वस्तुओं को किसी भी गैरकानूनी या गैरकानूनी तरीके से चोरी या प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।

4. बैंक को उस सील को खोलने का अधिकार है जिसमें उधारकर्ता की अनुपस्थिति में, दूसरे मूल्यांकन / ऑडिट के उद्देश्य से, अपने अधिकृत अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति में सोने के वस्तुएँ रखे जाएंगे और उधारकर्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी और वह बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा। उधारकर्ता बैंक और उसके संबंधित अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को बैंक या उसके किसी भी संबंधित अधिकारी, एजेंट, कर्मचारियों और प्रतिनिधियों द्वारा लाए गए या किए गए सभी कार्यों, कार्यवाही, सूट, लागत, शुल्क, व्यय, नुकसान, क्षतिपूर्ति, दावों और मांगों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा

(a) सोने के लेखों के संबंध में बैंक द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए बैंक के खिलाफ किसी भी तीसरे पक्ष के दावे के परिणामस्वरूप

(b) सोने के वस्तुएँ नकली या निम्न गुणवत्ता के पाए जाने की स्थिति में।

5. यहां दिए गए प्रत्येक अभ्यावेदन, वारंटी, वाचाएं, घोषणाएं सही, सही, वैध और हर मामले में सहायक हैं और बैंक की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के बकाया के पूर्ण भुगतान तक जीवित।

6. बैंक के पास लेन - देन दस्तावेजों (या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से) के तहत लेन - देन दस्तावेजों के तहत उन्नत उन्नत की जाने वाली स्वीकृत ऋण राशि/सीमाओं को रद्द करने का बिना शर्त अधिकार सुरक्षित है, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक की घटना पर (a) यदि सीमाओं / सीमाओं का हिस्सा उधारकर्ता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है या (b) किसी भी तरह से उधारकर्ता की साख में गिरावट के मामले में या (c) लेन - देन दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के मामले में (d) आभूषण की शुद्धता प्रतिशत ऑडिट के दौरान बहुत कम पाई जाती है / रिपोर्ट की जाती है। इस खंड के प्रयोजन के लिए, क्रेडिटवर्थनेस में गिरावट का अर्थ होगा और इसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित घटनाएं शामिल होंगी (i) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा उधारकर्ता की रेटिंग का डाउनग्रेड (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक की विलफुल डिफॉल्टर्स सूची में उधारकर्ता और/या उसके किसी भी निदेशक को शामिल करना (iii) उधारकर्ता की परिचालन क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बंद करना (iv) उधारकर्ता के कर के बाद लाभ में पंद्रह प्रतिशत से अधिक की गिरावट (v) लेखा परीक्षक से कोई प्रतिकूल टिप्पणी और (vi) बैंक की राय में कोई अन्य कारण / घटना जो गठित हो सकती है या जो गठित हो सकती है।

VI. डिफॉल्ट की घटनाएँ

1. निम्नलिखित डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगा (a) लेन - देन दस्तावेजों या किसी भी धोखाधड़ी, गलत बयानी, भौतिक तथ्यों को छिपाने के तहत उधारकर्ता के बकाए के भुगतान में चूक या किसी भी प्रावधान का उल्लंघन (b) उधारकर्ता की मृत्यु (c) गिरवी रखे गए सोने के वस्तुएँ या उसके किसी भी हिस्से के लिए उधारकर्ता का शीर्षक दोषपूर्ण है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी गई है, किसी भी तरीके से और / या सोने के वस्तुएँ (d) उधारकर्ता घोषित किया गया है जानबूझकर चूक करने वाला या बन गया है या उचित आशंका है कि उधारकर्ता दिवालियापन / दिवालियापन की कार्यवाही / गिरवी रखे गए सोने के लेखों को प्रभावित करने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही के अधीन हो जाएगा। (e) उधारकर्ता के लिए लेन - देन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना गैरकानूनी है या उसमें उनके किसी भी दायित्व का पालन करना गैरकानूनी है या उधारकर्ता लिखित रूप में, देय होने पर ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता को स्वीकार करने में असमर्थ है (f) डिफॉल्ट की घटना की घटना का वर्णन कैसे भी किया गया है (या कोई भी घटना जो नोटिस देने के साथ, समय की चूक, भौतिकता का निर्धारण या बैंक या उसकी समूह कंपनियों के साथ किसी भी समझौते या दस्तावेज के तहत किसी अन्य लागू शर्त या पूर्वगामी के किसी भी संयोजन की पूर्ति डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगी या एक या एक से अधिक घटनाओं, स्थितियों या परिस्थितियों (कानून में किसी भी बदलाव सहित) की घटना होगी, जो बैंक की एकमात्र राय में, एक भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

2. उधारकर्ता डिफॉल्ट की किसी भी घटना और इसके निवारण के लिए उठाए जा रहे कदमों, यदि कोई हो, के बारे में अवगत होने पर बैंक को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा। डिफॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, इस बारे में बैंक का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

VII. बैंक के अधिकार और उपाय

1. चूक की किसी भी घटना की स्थिति में, बैंक पर, बैंक लिखित रूप में एक नोटिस द्वारा, और लेनदेन दस्तावेजों के तहत या कानून के तहत उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (a) उधारकर्ता को उधारकर्ता बकाया के साथ तुरंत भुगतान करने का आह्वान करता है और / या (b) लेन - देन दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार बनाई गई सुरक्षा को लागू करने योग्य घोषित करता है और ऐसे सभी कदम उठाता है जिन्हें सुरक्षा को लागू करने और उधारकर्ता के बकाया की वसूली के लिए आवश्यक माना जाता है। (c) खाते की सुविधा और प्रभाव को समाप्त / निलंबित / रद्द करना। बैंक उधारकर्ता की बकाया राशि एकत्र करने और/ या उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता की लागत और व्यय पर प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा (यदि कोई हो) को लागू करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को आवश्यक शक्तियां नियुक्त और सौंप सकता है और उधारकर्ता ऐसे व्यक्तियों द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगा
2. उपरोक्त खंड 1 (b) में उल्लिखित शक्ति के संबंध में, बैंक, उधारकर्ता को 15 दिनों के नोटिस के अधीन हो सकता है (उधारकर्ता किस नोटिस की अवधि से सहमत है), उधारकर्ता लागत पर, गिरवी रखे गए सभी या किसी भी हिस्से को बेच सकता है या अन्यथा निपटान कर सकता है। स्वर्ण वस्तुएँ और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान / भुगतान के लिए ऐसी किसी भी बिक्री या निपटान की आय को लागू कर सकता है। बैंक बिक्री की पूर्वोक्त शक्ति का प्रयोग करने का हकदार होगा इस तरह से (चाहे निजी बिक्री द्वारा या अन्यथा), ऐसे समय(ओं), ऐसे व्यक्ति को (बैंक या उसके कर्मचारियों सहित) और इस तरह के विचार के लिए (चाहे वह तुरंत या किस्तों द्वारा देय हो) जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे। बैंक अपनी बिक्री की शक्ति के प्रयोग के अनुसार प्राप्त किसी भी धन के लिए एक अच्छा निर्वहन देने के लिए अधिकृत है।
3. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि जिस मूल्य पर उक्त गिरवी रखे गए सोने के वस्तुएँ बेचे जाते हैं, वह एक उचित मूल्य होगा और उधारकर्ता का बैंक या उसके ट्रस्टियों, एजेंटों, नामांकितों के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा, जो ऊपर बताए गए प्रावधानों या उसके किसी भी स्थगन के अनुसार आयोजित किसी भी बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के संबंध में है, चाहे जो भी हो और सोने के लेखों के पूरे या किसी भी हिस्से की बिक्री या निपटान पर इस तरह की बिक्री की तारीख को स्थगित या अग्रिम करके या अन्यथा बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता था या नहीं।
4. स्वर्ण लेखों से प्राप्त भुगतान या सुविधा के आंशिक भुगतान के कारण प्राप्त भुगतान, सुविधा के तहत देय और देय राशियों का पूरा पुनर्भुगतान प्राप्त करने के बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।
5. बैंक और उसकी समूह कंपनियों के पास बैंक और/या उसकी समूह कंपनियों द्वारा उधारकर्ता को दी जाने वाली सुविधाओं/सेवाओं से उत्पन्न सभी बकाया बकाया राशि की सीमा तक बैंक और / या उसकी समूह कंपनियों के नियंत्रण में रखी गई सभी जमा, शेष राशि, प्रतिभूतियाँ आदि पर किसी भी अन्य ग्रहणाधिकार या शुल्क के बावजूद, सेट - ऑफ और ग्रहणाधिकार का सर्वोपरि अधिकार होगा। बैंक और उसकी समूह कंपनियों के कानूनी और संविदात्मक अधिकारों के अलावा, उधारकर्ता बैंक को किसी भी समय बैंक और/या उसकी समूह कंपनियों की किसी भी शाखा के साथ या उसके साथ उधारकर्ता के सभी या किसी भी खाते और देनदारियों को संयोजित या समेकित करने के लिए अधिकृत करता है।

VII. विविध

1. बैंक को उधारकर्ता के बकाया का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता की देयता, किसी भी तरह से, उधारकर्ता की मृत्यु, दिवालियापन, कानूनी अक्षमता या अन्यथा से प्रभावित या छुट्टी नहीं होगी।
2. किसी भी डिफॉल्ट या अन्यथा लेनदेन दस्तावेजों के तहत बैंक को अर्जित किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का उपयोग करने के लिए व्यायाम या चूक में कोई देरी ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को बाधित नहीं करेगी या इस तरह के डिफॉल्ट में छूट या किसी भी अधिग्रहण के रूप में माना जाएगा।
3. प्रविष्टियाँ बैंक की खाता पुस्तकों या रिकॉर्ड में की जाती हैं, अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में या सुविधा के संबंध में बैंक के किसी नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी बयान अंतिम और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा और बैंक के प्रति उधारकर्ता के बकाया दायित्वों का निर्णायक सबूत होगा।
4. बैंक किसी भी लेनदेन दस्तावेज के तहत और / या सुविधा के संबंध में, लिखित रूप में, उन्हें हाथ से वितरित करके या उधारकर्ता द्वारा दिए गए अंतिम पते पर या बैंक (लिखित संचार माना जाता है) के साथ दर्ज पते पर ईमेल के माध्यम से या अपनी वेबसाइट या किसी अन्य मोड पर बैंक द्वारा फिट समझा जा सकता है। इसके अलावा, बैंक सामान्य प्रकृति का नोटिस भी प्रकाशित कर सकता है, जो अपनी वेबसाइट पर समान क्रेडिट सुविधा के सभी उधारकर्ताओं पर लागू होता है। इस तरह के नोटिस को उधारकर्ता और सभी प्रासंगिक व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से परोसा गया माना जाएगा। बैंक को सभी नोटिस / संचार लिखित रूप में दिए जाने चाहिए और डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 4वीं मंजिल, चरण II, स्पेसर प्लाजा, नंबर 769, माउंट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत - 600 002 को वितरित किए जाने चाहिए।

जगह:

हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान का उधारकर्ता

तारीख:

नाम:

स्वीकृति

हम श्रीमान/श्रीमती से सोने पर ऋण के लिए आवेदन की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं। आपके द्वारा दस्तावेजों के संतोषजनक निष्पादन/प्रस्तुति के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर, आपको लोन वितरित कर दिया जाएगा तथा यह बैंक के नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता